वास्तविक मासूमियत कार्यक्रम

डेलावेयर डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस के वास्तविक मासूमियत कार्यक्रम को यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि डेलावेयर डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस ("DOJ") समझता है और उन व्यक्तियों के खिलाफ सुधारात्मक कार्रवाई करता है जो अनुभवजन्य सबूतों से उनकी बेगुनाही साबित करते हैं। न्याय करने के लिए DOJ की प्रतिबद्धता का एक हिस्सा यह सुनिश्चित करना है कि जो लोग अपराधों के दोषी नहीं हैं वे आपराधिक प्रतिबंधों का शिकार न हों।

DOJ का वास्तविक मासूमियत कार्यक्रम डेलावेयर की मौजूदा प्रक्रियाओं को बदलने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है, जैसे कि क्षमा बोर्ड के माध्यम से संवैधानिक रूप से स्थापित क्षमादान प्रक्रिया।

पात्रता

वास्तविक मासूमियत कार्यक्रम ("कार्यक्रम") उन लोगों की याचिकाओं पर विचार करेगा जो वर्तमान में कैद हैं, या तो न्यायाधीश या जूरी द्वारा अपराध की खोज या आपराधिक आरोप की याचिका के कारण, और भौतिक साक्ष्य या वैज्ञानिक साक्ष्य के कब्जे में हैं यह सुझाव देते हुए कि उन्होंने कोई आपराधिक गलत काम नहीं किया है। कार्यक्रम केवल पूर्व बयानों की पुनरावृत्ति या संशोधन, या नए बयानों के उत्पादन पर आधारित याचिकाओं पर विचार नहीं करेगा - ऐसी याचिकाएं क्षमा बोर्ड को प्रस्तुत की जा सकती हैं। इसके बजाय, कार्यक्रम उन मामलों पर ध्यान केंद्रित करेगा जहां भौतिक साक्ष्य एक कैदी के इस तर्क का समर्थन करता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, जैसे कि फोरेंसिक साक्ष्य, ऑडियो या वीडियो साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जैसे ईमेल या सेल फोन रिकॉर्ड, या अन्य भौतिक साक्ष्य।

योजना उन लोगों के आवेदनों पर विचार नहीं करेगी जो दावा करते हैं कि उन्होंने दोषी ठहराया है या वास्तव में किए गए गंभीर अपराधों से अधिक गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है। कार्यक्रम उन व्यक्तियों पर केंद्रित होगा जो दावा करते हैं कि वे जेल समय काट रहे हैं जबकि वास्तव में उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है।

प्रक्रिया

इस कार्यक्रम के लिए आवेदन लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेलावेयर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के सिविल राइट्स एंड पब्लिक ट्रस्ट डिवीजन को यह निर्धारित करने के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि आवेदन उपरोक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करता है या नहीं। पात्रता मानकों को पूरा नहीं करने वाली याचिकाओं को प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों को क्षमादान मांगने के लिए क्षमा बोर्ड की प्रक्रिया की उपलब्धता के बारे में सूचित किया जाएगा।

पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने वाली याचिकाओं के संबंध में, DOJ डिवीजन ऑफ सिविल राइट्स एंड पब्लिक ट्रस्ट स्टाफ डिप्टी अटॉर्नी जनरल से परामर्श करेगा, जिन्होंने पहले याचिकाकर्ता के मामले को संभाला था, यदि कोई उपलब्ध है, तो याचिका पर उप अटार्नी जनरल के इनपुट की मांग करने के लिए, और उन याचिकाओं की प्रतियां प्रदान करने के लिए और इस प्रक्रिया में डीओजे के साथ एक विशेष सहायक अटार्नी जनरल के रूप में भाग लेने वाले बार के एक स्वयंसेवक सदस्य को प्रासंगिक उप अटार्नी जनरल से 29 डेल C.§ 2505 के अनुसार कोई प्रतिक्रिया प्रदान करें। प्रारंभ में, यह भूमिका पूर्व डेलावेयर सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति हेनरी ड्यूपॉन्ट रिजली द्वारा भरी जाएगी। आवश्यकतानुसार इस भूमिका को भरने के लिए अतिरिक्त विशेष सहायक अटार्नी जनरल नियुक्त किए जा सकते हैं। विशेष सहायक अटार्नी जनरल के पास उस मामले से संबंधित न्याय विभाग के कब्जे में किसी भी सामग्री तक मुफ्त पहुंच होगी, जिसे वे समीक्षा के योग्य समझते हैं, और मामले को संभालने वाले न्याय विभाग के अभियोजक उनके साथ पूरा सहयोग करेंगे। नागरिक अधिकार और लोक न्यास विभाग के कर्मचारी किसी भी सामग्री को इकट्ठा करने के संबंध में प्रशासनिक सहायता प्रदान करेंगे, विशेष सहायक अटार्नी जनरल का मानना है कि उनकी समीक्षा के लिए आवश्यक है।

यदि एक विशेष सहायक अटार्नी जनरल को यह निर्धारित करना चाहिए कि एक मौजूदा कैदी एक आपराधिक सजा काट रहा है, जबकि कैदी ने कोई आपराधिक अपराध नहीं किया है, तो वह नागरिक अधिकार और सार्वजनिक ट्रस्ट के निदेशक को इसकी रिपोर्ट करेगा। एक तीन-व्यक्ति समीक्षा समिति, जिसमें नागरिक अधिकार और लोक न्यास विभाग के दो वकील और DOJ के आपराधिक प्रभाग के एक अभियोजक शामिल हैं, उन निष्कर्षों की समीक्षा करेगी, और अटॉर्नी जनरल को सिफारिश करेगी (यदि समिति के सदस्यों के पास है अलग-अलग राय, दोनों को सूचित किया जाएगा)। अटार्नी जनरल तब यह निर्धारित करेगा कि आपराधिक

मामले को फिर से खोलने के लिए अदालत में एक प्रस्ताव दायर किया जाना चाहिए या नहीं।

वास्तविक मासूमियत कार्यक्रम